न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :बी. एल. कोठारी, आई.ए.एस

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 209/2015

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
हरजीराम पुत्र गोरखाराम जाति मेघवाल निवासी– लूणा कलां तहसील पोकरण जिला–जैसलमेर।		1. पर्बत सिंह 2. बुद्धसिंह 3. हुकमसिंह पुत्रान कल्याणसिंह निवासी– लूणाखुर्द तहसील पोकरण जिला जैसलमेर। 4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 3.6.2013 जो जिला कलक्टर जैसलमेर ने राजस्व अपील संख्या 12/2012 अनवान पर्बतसिंह बनाम राज्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः––

1. श्री रमणलाल बालोच, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री मंयक खत्री अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की ओर से उपस्थित।
3. श्री ओमप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं 4 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 20 अगस्त, 2019

1. अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत द्वितीय राजस्व अपील जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 12/2012 अनवान पर्बत सिंह बनाम राज्य वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 3.6.2013 से व्यथित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न परीसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत म्याद प्रार्थना पत्र एवं अपील प्रस्तुत करने बाबत अनुमति प्रार्थना पत्र पेश किया।

2. प्रस्तुत अपील को सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया तथा उपस्थित अभिभाषकगण के द्वारा की गई बहस को सुना।

3. प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.6.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपील प्रस्तुत किये जाने बाबत अनुमति प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में कथन किया कि अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश में वर्णित वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित है तथा मौके पर काबिज है, जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। ऐसे में वह अपीलाधीन आदेश से पूर्ण रूप से व्यथित पक्षकार है परन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष उसे पक्षकार नहीं बनाया है इसलिये उसे अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे।

4. हमने अपीलान्टस के द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने बाबत अनुमति प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रकट किये गये कथनों पर मनन किया। चूंकि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 3 (प्रथम अपील में अपीलान्टस) के द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करते समय केवल 4 तहसीलदार पोकरण को ही पक्षकार रेस्पोडेन्टस बनाया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रकट है जिसमें अपीलान्ट का जो कि उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 84/352 के जमाबन्दी सम्वत 2069–72 के अवलोकन अनुसार वह भी प्रथम अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्षकार है। अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रकट किये गये कथनों पर तथा प्रस्तुत दस्तावेजों पर अविश्वास करने का कोई उचित कारण प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थीया के द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

5. प्रस्तुत द्वितीय अपील को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने से पूर्व अपील के साथ अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णित किया जाना उचित होगा। उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षकारों के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को सुना गया।

6. अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा यह कथन किया कि दिनांक 5.10.2015 को रेस्पोडेन्टस वादग्रस्त भूमि पर आये तथा अपीलान्ट से उक्त भूमि पर मालिकाना हक को लेकर झगडा करने पर उतारू हो गये तथा उनके द्वारा यह कहा गया कि वह भूमि अब हमारे नाम दर्ज हो जावेगी क्योंकि अपीलाधीन आदेश के जरिये हमारे पक्ष में फैसला आया है। तब अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 7.10.2015 को अपीलाधीन आदेश

की तथा नामा0 संख्या 213 की प्रमाणित प्रति दिनांक 10.11.15 को प्राप्त की जब जानकारी हुई। तत्पश्चात उसके द्वारा यह द्वितीय न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 4.12.2015 को प्रस्तुत की गई है जिससे अन्दर म्याद शुमार किया जावें तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जावें।

7. रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने अपीलार्थीया के परीसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का विरोध किया तथा प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया। द्वितीय अपील पेश करने में हुए एक–एक दिन के विलम्ब को अपीलान्ट न्याय संगत नहीं ठहरा सका है अतः अपील इसी बिन्दू पर खारिज की जावें।

8. हम अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से सहमत है कि अपीलान्टस प्रथम अपील न्यायालय के यहां प्रस्तुत अपील में पक्षकार नहीं थे। ऐसी दशा में उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी ज्योहि हुई आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर अपील की है अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है एवं अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाता है।

9. अपील के गुणावगुण पर दोनों पक्षों के द्वारा बहस की गई। अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया गया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। उक्त अपील में वर्णित वादग्रस्त भूमि में अपीलान्टस भी सहखातेदार थे जिन्हें भी पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था। ऐसे में आदेश निरस्त करने योग्य है।

10. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन भी किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के द्वारा प्रथम अपील अधिकारी के न्यायालय में अपनी अपील में यह तथ्य अंकित किये थे कि ग्राम लूणा खुर्द के ख0सं0 84 रकबा 805 बीघा 5 बिस्वा, ख0सं0 105 रकबा 1250 बीधा 7 बिस्वा कुल 2056 बीघा 13 बिस्वा भूमि अपीलान्टस के संयुक्त खाता नम्बर 16 खतौनी बन्दोबस्त में आई हुई थी जिसमें 1/4 हिस्सा जेठमालसिहं, सगता, जोधा व कल्याणा पुत्र सोनजी के नाम सेटलमेन्ट से दर्ज हुई।

सोनजी के पुत्र सगता के एकमात्र पुत्र फतेहसिंह होने से एक ही यूनिट होने से सीलिंग प्रभावित हुई जिस पर फतेहसिंह पुत्र सगतसिंह के हिस्से की 169 बीघा 18 बिस्वा भूमि अधिक होने से सीलिंग में अवाप्त करने का निर्णय उपखण्ड अधिकारी, पोकरण द्वारा लिया गया था। जिसकी पालना में तहसीलदार पोकरण को फतेहसिंह के हिस्से की 169 बीघा 18 बिस्वा भूमि लेने का आदेश दिया तत्पश्चात पटवारी ने कब्जा लेना दर्शित किया परन्तु रकबा राज नहीं किया गया। तब तहसीलदार ने रकबा राज करने हेतु नामा0 संख्या 213 खोला जाकर दिनांक 5.7.1982 को स्वीकृत किया जिसमें सम्पूर्ण खातेदारों की संयुक्त खाते की ख0सं0 84 रकबा 805 बीघा 5 बिस्वा में से 169 बीघा 18 बीघा सीलिंग अवाप्त कर सरकार के नाम दर्ज कर दी गई।

11. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन भी किया कि प्रथम अपील में यह भी अंकित किया थे कि उक्त नामा0 दर्ज करते समय मूल सीलिंग आदेश की अनदेखी की गई जिसमें सीलिंग में सिर्फ फतेहसिंह के हिस्से की भूमि ही गई थी जो कि उपरोक्त खसरा संख्या 84 व 105 में से फतेहसिंह के हिस्से में से अवाप्ति करनी थी जो नहीं कर तमाम खातेदारों के हिस्से में से एक ही खसरा संख्या 84 में से 169 बीधा 18 बिस्वा अवाप्त कर नामा0 संख्या 213 स्वीकृत कर रकबा राज दर्ज कर दिया जो नियमानुसार सही रूप से दर्ज नहीं किया गया था। जबकि उपखण्ड अधिकारी पोकरण के द्वारा केवल फतेहसिंह के हक–हिस्से वाली भूमि की ही अवाप्त करने के आदेश जारी हुए थे, अन्य सहखातेदारों के हक–हिस्से वाली भूमि में से अवाप्त करने के नही। जिस पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए नामा0 संख्या 213 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार पोकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि वे निर्णय में किये गये विवेचन के अनुसार अपीलान्टस(रेस्पोडेन्टस) को सुनवाई का समुचित अवसर देने प्रदान करते हुए व उपखण्ड अधिकारी, पोकरण के आदेश दिनांक 13.1.1975 के अनुसार फतेहसिंह से अवाप्त की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में पुनः जॉच कर नामा0 नये सिरे से खोला जाकर उसे दो माह की अवधि में निर्णित करने

की नियमानुसार कार्यवाही करें। उक्त आदेश से वर्तमान अपीलान्टस भी व्यथित होने से यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

12. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन भी किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर जैसलमेर का अपीलाधीन निर्णय गलत, गैर कानूनी व विधिक प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त प्रथम अपील पूर्ण रूप से मियाद बाहर थी और मियाद को माफ करने हेतु कोई पर्याप्त कारण रेस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये गये थे।

13. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन भी किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन नामा0 संख्या 213 को निरस्त करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध महत्वपूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन नामा0 संख्या 213 उपखण्ड अधिकारी पोकरण के द्वारा जारी जिसे आदेश के तहत भरा जाकर स्वीकृत किया गया था उस आदेश के विरूद्ध किसी खातेदार ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की। ऐसे में मात्र नामा0 कार्यवाही के जरिये किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता था।

14. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन भी किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की प्रथम अपील में वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा भूमि पर वर्षो से काबिज है, ऐसे में आवश्यक पक्षकार के अभाव के प्रथम अपील चलने योग्य नहीं थी।

15. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन भी किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने विवादग्रस्त भूमि में स्व. फतेहसिंह का 5 बीघा तक हिस्सा मानने में भारी भूल की है, रेकर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिससे इस निष्कर्श पर पहुंचा जा सके कि स्व0 फतेहसिंह के हक–हिस्से की 50 बीघा भूमि ही थी, जबकि सीलिंग कानून के तहत भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई थी। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने वर्तमान जमाबन्दी रेकर्ड इत्यादि को न तो तलब किया और न ही उसका अवलोकन किया मात्र रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के कथनों को ही आधार मानते हुए प्रथम अपील को स्वीकार कर नामा0 संख्या 214 को निरस्त करते हुए प्रकरण

तहसीलदार पोकरण को प्रतिप्रेषित कर दिया जो विधि विपरित होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये ही एकपक्षीय रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.6.2013 को निरस्त किया जावे एवं नामा0 संख्या 213 को यथावत बहाल रखे जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

16. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक ता तीन की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि अपीलान्टस के इन कथनों का समर्थन किया कि उनकी प्रथम अपील में उपरोक्त खसरान भूमि का वर्णन अंकित किया था तथा उसी अनुसार यानि स्व. फतेहसिंह के हक–हिस्से वाली खसरा संख्या 84 रकबा 169 बीघा 18 बिस्वा भूमि जिसमे फतेहसिंह का 169 बीघा 18 बिस्वा बनता ही नहीं था। किन्तु उक्त खसरे में समस्त खातेदारों की भूमि में से उनके हिस्से की भूमि अवाप्त कर राज हर्क में दर्ज कर दी गई और इस बाबत तहसील कार्यालय की ओर से किसी पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, ऐसे में बिना जॉच व सुनवाई किये स्वीकृत किये गये नामा0 को निरस्त कराने हेतु प्रथम अपील श्रीमान जिला कलेक्टर जैसलमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जिसे अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा स्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

17. रेस्पो0 संख्या एक ता तीन की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि कोई भी आदेश जो कि विधि के अनुसार जारी नहीं किया गया हो अथवा त्रुटिपूर्ण और रेकर्ड अनुसार सही पारित नहीं किया गया हो उसे चुनौती दिये जाने में मियाद आडे नहीं आती है उसे जब भी जानकारी हो तब ही निरस्त करवाने की कार्यवाही की जा सकती है और नामा0 संख्या 213 को निरस्त कराये जाने हेतु उनकी प्रथम अपील में स्व0 फतेहसिंह के वारिसानों को पक्षकार इसलिये नहीं बनाया गया था कि उनके पिता के हक–हिस्से से अधिक भूमि अवाप्त कर दर्ज कर दी गई थी जिससे उनके हक–हिस्से प्रभावित हो रहे थे, स्व0 फतेहसिंह के हिस्से पर कोई प्रभाव नहीं पड रहा था, मात्र रेकर्ड दुरूस्ती किये जाने हेतु

उनकी ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे स्वीकार किये जाने और नामा0 संख्या 213 को निरस्त कर पुनः नये सिरे से दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है वो पूर्णतया उचित है अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलान्टस की यह द्वितीय अपील अस्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

18. हमने पक्षकारान के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया जाता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील में जिस वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 84 में अंकित रकबा भूमि के सम्बन्ध में निर्णय दिया गया है। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन अनुसार अपीलान्ट भी वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार के रूप में दर्ज है जिसे भी प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का अवसर देने के उपरान्त यथोचित निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। हमारी विनम्र राय में उपरोक्त ऑब्जवेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.6.2013 को निरस्त करते हुए प्रकरण जिला कलेक्टर न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

19. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.6.2013 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला कलेक्टर जैसलमेर को नामा0 संख्या 213 में अंकित भूमि के हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर